प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 22 अगस्त, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी निरतो पुत्र श्री भंवर सिंह, निवासी जनपद-मथुरा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-28846/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-17.09.2024) दिनांक-23.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी निरतो पुत्र श्री भंवर सिंह, महराना, थाना-बरसाना, जनपद-मथुरा का निवासी है। बंदी द्वारा अपने 53 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लड़की भगाने के सम्बंध में दिनाक 26/27.03.1991 को बुलाई गई पंचायत में रोशनी व दोनों लड़कों रामकिशन व विजेन्द्र को रात भर पीटा गया तथा दोनों लड़कों को उल्टा लटकाकर उनके गुप्तांगों को जलाया गया तथा उक्त तीनों को फॉसी पर लटकाने के बाद अघमरे हालत में शमशान भूमि में ले जाकर रामकिशन, विजेन्द्र तथा रोशनी नामक 03 लोगों को एक ही चिता में जला दिया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटीनं0-संख्या-359/91 में भा0द0वि0 की धारा-147,302/149, 323/149, 324/149, 201/149 व 3(3)10 एस०सी०एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-02, मथुरा के आदेश दिनांक 16.11.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 31.05.2016 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 26.11.2021 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 10.01.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 10 दिन तथा 16 वर्ष 11 माह, 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि एल०जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा उपरोक्त आख्याओं से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में बंदी द्वारा अपने 53 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लड़की भगाने के सम्बंध में दिनाक 26/27.03.1991 को बुलाई गई पंचायत में रोशनी व दोनों लड़कों रामकिशन व विजेन्द्र को रात भर पीटा गया तथा दोनों लड़कों को उल्टा लटकाकर उनके गुप्तांगों को जलाया गया तथा उक्त तीनों को फॉसी पर लटकाने के बाद अधमरे हालत में शमशान भूमि में ले जाकर रामकिशन, विजेन्द्र तथा रोशनी नामक 03 लोगों को एक ही चिता में जलाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी निरतो पुत्र भंवर सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी निरतो (बन्दी संख्या-17026) पुत्र श्री भंवर सिंह, निवासी जनपद-मथुरा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1060/2025/1567(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रि0 मिस रिट पिटीशन नोटिस संख्या-305/2025 निरतो पुत्र भवर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1060/2025/1567/22-2-2024-17(848)/2022

दिनांक 22 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी निरतो पुत्र श्री भंवर सिंह, महराना, थाना-बरसाना, जनपद-मथुरा का निवासी है। बंदी द्वारा अपने 53 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लड़की भगाने के सम्बंध में दिनाक 26/27.03.1991 को बुलाई गई पंचायत में रोशनी व दोनों लड़कों रामकिशन व विजेन्द्र को रात भर पीटा गया तथा दोनों लड़कों को उल्टा लटकाकर उनके गुप्तांगों को जलाया गया तथा उक्त तीनों को फॉसी पर लटकाने के बाद अघमरे हालत में शमशान भूमि में ले जाकर रामकिशन, विजेन्द्र तथा रोशनी नामक 03 लोगों को एक ही चिता में जला दिया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटीनं0-संख्या-359/91 में भा0द0वि0 की धारा-147,302/149, 323/149, 324/149, 201/149 व 3(3) 10 एस०सी०एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-02, मथुरा के आदेश दिनांक 16.11.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 31.05.2016 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 26.11.2021 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 10.01.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 10 दिन तथा 16 वर्ष 11 माह, 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि एल०जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा उपरोक्त आख्याओं से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में बंदी द्वारा अपने 53 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लड़की भगाने के सम्बंध में दिनाक 26/27.03.1991 को बुलाई गई पंचायत में रोशनी व दोनों लड़कों रामकिशन व विजेन्द्र को रात भर पीटा गया तथा दोनों लड़कों को उल्टा लटकाकर उनके गुप्तांगों को जलाया गया तथा उक्त तीनों को फॉसी पर लटकाने के बाद अधमरे हालत में शमशान भूमि में ले जाकर रामकिशन, विजेन्द्र तथा रोशनी नामक 03 लोगों को एक ही चिता में जलाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी निरतो पुत्र भंवर सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in